न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सांचौर, जिला–जालोर

पीठासीन अधिकारी :– प्रमोद कुमार (आर.ए.एस)

मुकदमा संख्या :– 60 / 2023

जी.सी.एम.एस. नंबर :– 2024 / 154

प्रार्थीगण

1 विक्रम सिंह पुत्र मदनसिंह वगैरह

अप्रार्थीगण

महादेवाराम पुत्र प्रभुराम वगैरह

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

तारीख रजु :– 12.08.2024

उपस्थिति :–

1. प्रार्थीगण की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री सोहनलाल नैण उपस्थित।
2. अप्रार्थीगण संख्या 1 की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री सदराम विश्नोई उपस्थित।
3. अप्रार्थीगण संख्या 2, 3, 5 बावजूद तामील के अनुपस्थित रहने से एकपक्षीय कार्यवाही
4. अप्रार्थी संख्या 4 की और से राज पैरोकार नायब तहसीलदार उपस्थित।

:– निर्णय :– दिनांक :– 28.07.2025

संक्षिप्त में प्रार्थना–पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम मौजा रावतसर के खेत खसरा संख्या 781, 782, 783, 784, 785, 786 / 970, 1248 / 803, 1249 / 803, 1251 / 804, 1252 / 804 कुल खसरा 10 जुमले रकबा 5.1558 हैक्टेयर व खसरा नंबर 1127 / 786 रकबा 2.00 हैक्टेयर व खसरा नंबर 1128 / 786 रकबा 1.62 हैक्टेयर जो पुराने खसरा नंबर 421मी, 420 / 1मी, 330, 420, 330 से सृजित हुए है। जिसमें प्रार्थीगण के दादा स्व. बैचरसिंह से विरासत में प्रार्थीगण के पिता / अप्रार्थी संख्या 2 मदनसिंह को विरासत में मिला, जिसमें मदनसिंह का 1 / 2 हिस्सा एवं अप्रार्थी संख्या 3 का 1 / 2 हिस्सा पैतृक दर्जसुदा आया हुआ था। उक्त आराजी प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण 2 व 3 के संयुक्त खातेदारी की पुश्तैनी पैतृक आराजी आई हुई है जो प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी संख्या 2, 3 की संयुक्त कब्जे काश्त की आई हुई है। नकल प्रथम मिसल बंदोबस्त एवं नकल द्वितीय मिसल बन्दोबस्त के साथ पेश है। प्रार्थीगण अप्रार्थी मदनसिंह के जायन्दा पुत्र होने से अप्रार्थी मदनसिंह के उतराधिकारी एवं जायज वारिसान् होने से मौजा रावतसर में स्थित खसरा नंबरान 781, 782, 783, 784, 785, 786 / 970, 1248 / 803, 1249 / 803, 1251 / 804, 1252 / 804 कुल खसरा 10 जुमले रकबा 5.1558 हैक्टेयर व खसरा नंबर 1127 / 786 रकबा 2.00 हैक्टेयर व खसरा नंबर 1128 / 786 रकबा 1.62 हैक्टेयर की आराजी में [illegible] आराजी में से प्रार्थीगण की पैतृक पुश्तैनी आराजी होने [illegible] आराजी में प्रार्थीगण हिन्दू उतराधिकार अधिनियम की धारा 6 के अनुसार प्रत्येक [illegible] की जन्म से अधिकार पैदा होने से प्रत्येक प्रार्थीगण का नोशनल शेयर पैदा होने [illegible] उपरोक्त खसरा नंबरान [illegible] में 1 / 2 हिस्सा में से प्रत्येक प्रार्थीगण का 1 / 3, 1 / 3 हिस्सा यानि संपूर्ण आराजी में प्रत्येक प्रार्थीगण 1 / 6, 1 / 6 पाने का अधिकारी होने से प्रार्थना–पत्र बाबत् अस्थाई निषेधाज्ञा का पेश

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2025.08.01 11:46:38 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर, सांचौर
(उपखण्ड अधिकारी सांचौर)

Scanned with OKEN Scanner

है। मौजा रावतसर के उपरोक्त खसरा नंबरान आराजी प्रार्थीगण के संयुक्त परिवार की पुश्तैनी आराजी आई होने से उक्त आराजी में से 1/6, 1/6 हिस्सा प्रार्थीगण का जन्म से नोशनल शेयर पैदा होने से संयुक्त कब्जा काश्त प्रार्थीगण का आया होने से प्रार्थीगण के हिस्से की खातेदारी प्रार्थीगण पाने के अधिकारी होने से स्थाई निषेधाज्ञा का पेश है। मौजा रावतसर के उपरोक्त खसरा नंबरान आराजी में 1/2 हिस्से में से अप्रार्थी संख्या 2 के हिस्से की आराजी में से प्रत्येक प्रार्थीगण का 1/3, 1/3 हिस्सा यानि संपूर्ण आराजी में से 1/6 हिस्सा कब्जा काश्त एवं मालिकाना हक हकुक का आया होने से प्रत्येक प्रार्थीगण का 1/6, 1/6 हिस्से पर शांतिपूर्वक कब्जाकाश्त लगातार विधि सम्मत प्रार्थीगण का आया होने से अस्थाई निषेधाज्ञा का पेश है। अत प्रार्थना–पत्र पेश कर निवेदन है कि इस अमर की अस्थाई निषेधाज्ञा मूल वाद तक बहक प्रार्थीगण विरूद्व अप्रार्थीगण सादिर फरमावें की रावतसर में स्थित उपरोक्त खसरा नंबरान आराजी में से प्रार्थीगण के हिस्से व कब्जा काश्त की आराजी में न तो अप्रार्थीगण स्वयं व न किसी अन्य के द्वारा दखलंदाजी करावें तथा मौके एवं राजस्व रेकर्ड की यथास्थिति बनाये रखने का आदेश फरमावें।

अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 01 ने अपनी बहस में उक्त तथ्यों का विरोध करते हुए निवेदन किया कि प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र सारहीन, बलहीन व मनगंढत तथ्यों पर आधारित होने से खारिज फरमावें ।

मैंने उभयपक्षकारान् की बहस पर मनन किया, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात् का भली भांति अध्ययन व अवलोकन किया गया अतः प्रथम दृष्ट्या प्रकरण व सुविधा का संतुलन प्रार्थीगण के पक्ष में प्रतीत होने से प्रार्थीगण का प्रार्थना–पत्र स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है।

:– आदेश :–

अतः अप्रार्थीगण के विरूद्व मूल वाद के निस्तारण तक इस आशय की अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की जाती है कि मौजा रावतसर पटवार हल्का अरणाय तहसील सांचौर 781, 782, 783, 784, 785, 786/970, 1248/803, 1249/803, 1251/804, 1252/804 कुल खसरा 10 जुमले रकबा 5.1558 हैक्टेयर व खसरा नंबर 1127/786 रकबा 2.00 हैक्टेयर व खसरा नंबर 1128/786 रकबा 1.62 हैक्टेयर भूमि की अप्रार्थीगण राजस्व रेकर्ड एवं मौके की यथास्थिति बनाये रखें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से एक कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

(प्रमोद कुमार, आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी सांचौर
सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी सांचौर

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2025.08.01 11:46:38 IST
Reason: SelfAttested

निर्णय आज दिनांक **28.07.2025** को खुले इजलास में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
सांचौर
सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी सांचौर

सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी सांचौर
सत्यमेव जयते
जिला जालोर

Scanned with OKEN Scanner